न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र0 क्र0 / 2016 R - 3824-~~2015~~-16 I

दिनांक 7-11-16 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि0 द्वारा प्रस्तुत/
ह0 7-11-16
50

457
7-11-16

D Chaturvedi
07/11/16

1:- मोहरसिंह आयु 60 साल पुत्र सरदारसिंह

2:- जशवन्तसिंह आयु 40 साल पुत्र मोहरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम जरोद तहसील गंज बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 ----अपीलान्ट

बनाम

1:- मुन्नाशौर आयु 57 साल पुत्र सरदारसिंह

2:- शौरसिंह आयु 58 साल पुत्र सरदारसिंह

3:- कुन्दनसिंह आयु 50 साल पुत्र हरीसिंह

4:- रम्मू आयु 40 साल पुत्र हरीसिंह

5:- मुकेश आयु 35 साल पुत्र हरीसिंह जाति दांगी निवासीगण ग्राम जरोद तहसील बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 -------रिस्पा0गण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता खिलाफ आदेश न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा प्र0 क्र0 36/अपील2015-16 बमामले मुन्नाशौर बनाम मोहरसिंह आदि आदेश दि0 18/10/2016 ग्राम अम्बानगर तहसील गंज बासोदा

==

श्री मान महोदय

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिरिवीजनकर्ता मुन्नाशौर से रिवीजनकर्ता एवं प्रतिरिवीजनकर्ता क्रमांक 2 लगायत 6 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय में तहसीलदार महोदय के प्र0 क्र0 3/अ-27/2010-11 आदेश दिनांक 31/3/2011 नामान्तरण प्रती

XXIX(a)-BR(H)-11

61

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3824-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	